

प्रपत्र -1, भाग -2

पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान स्वीकृत करने की कृपा करें :-

1- मृत सरकारी सेवक का नाम _____

2- मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम _____

3- मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित :

(क) अन्तिम पद _____

(ख) विभाग का नाम _____

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम _____

4- सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक _____
(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)

5- क्या मृत सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशन पा रहा था अथवा नहीं, यदि हाँ तो-

(क) कोषागार/बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित करता था/करती थी _____

(ख) विभाग का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे/हुई थी _____

6- प्रार्थी का विवरण, जिसको पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी :

(क) नाम _____

(ख) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध _____ (ग) जन्म तिथि _____

(घ) स्थायी पता _____

(ङ) पत्र-व्यवहार का पता _____

7- प्रार्थी की मृत्यु के कारण जीवनकालीन अवशेष देयों के भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का विवरण :

(क) नाम _____

(ख) मृतक से सम्बन्ध _____

(ग) पता _____

8- मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म-तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

9-(क) कोषागार का नाम, जहाँ से पेंशन भुगतान अपेक्षित है _____
 (ख) कोषागार के बाद उस बैंक का नाम, जहाँ पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं / चाहते हैं _____
 (ग) बैंक खाता संख्या _____

10- अनन्तिम पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम मृत्यु उपादान की धनराशि, यदि विभाग से स्वीकृत तथा भुगतान हुआ हो तो—
 (क) अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि रु० _____
 (ख) अनन्तिम मृत्यु उपादान की धनराशि रु० _____

11-(क) क्या मृत सरकारी सेवक को सरकारी आवास आवंटित था _____
 (ख) यदि हाँ, तो मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार द्वारा भवन खाली करने की अनुमानित अवधि _____
 (ग) किराये की दर प्रतिमाह (1) सामान्य दर रु० _____ (2) मानक दर रु० _____
 (घ) मृत्यु के उपरान्त की अवधियों के किराये का नियमानुसार भुगतान (1) ट्रेजरी चालान द्वारा अथवा
 (2) आगणित कुल धनराशि रु० _____ का समायोजन मृत्यु उपादान से पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

घोषणा

मैं _____ पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री स्व० श्री/श्रीमती _____

को (विभाग/कार्यालय का नाम) _____ द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान स्वीकार करते हुए यह घोषित करती/करता हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन/मृत्यु उपादान से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर प्रार्थी या अंगूठा निशान)

दो साक्षियों, जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये :-

1- नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2- नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहियें जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

(हस्ताक्षर—कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
सील